डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

दूरभाष : 07752-424497

दिनांक : 04.11.2016

समस्त सहायक प्राध्यापकों/कर्मचारियों के लिए आचार संहिता :-

01- सभी प्राध्यापक एवं कर्मचारी संपूर्ण एकता महाविद्यालय के प्रति और समर्पण की भावना से अपने कर्त्तव्यों का पालन करेंगे, और ऐसा कुछ भी नही करेंगे जो उनके पदीय कदाचरण के कारण संस्था की गरिमा एवं हित के प्रतिकूल हो।

02- कोई भी शिक्षक/कर्मचारी महाविद्यालय से संबंधित विषय पर बिना प्राचार्य की अनुमति लिये किसी भी समाचार माध्यम से संबंधित नही रहेंगे, तथा किसी भी माध्यम से अपने वक्तव्य प्रकाशित नही करेंगे।

03- शिक्षक/कर्मचारी को प्राचार्य द्वारा दिये गए सभी विधिक एवं प्रशासनिक आदेशो एवं कार्यों का अक्षरशः पालन करना होगा। अपने शैक्षणिक कर्त्तव्यों के अतिरिक्त प्राचार्य द्वारा प्रदत्त अंन्य सह-पाठ्यक्रम तथा पाठ्येत्तर गतिविधियों के अन्तर्गत सौंपे गए दायित्वों का पालन करना अनिवार्य होगा।

04- कोई भी प्राध्यापक/कर्मचारी किसी भी राजनैतिक संगठन के साथ किसी भी प्रकार के प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष गतिविधियों में संलग्न नही रहेगा, और न ही किसी विशेष राजनैतिक संगठन के प्रचार-प्रसार में भाग लेकर अपने प्रभाव का उपयोग करते हुए उस संगठन को लाभ पंहुचाएगा।

05- कोई भी प्राध्यापक/कर्मचारी अध्यक्ष, शासी निकाय/प्राचार्य की अनुशंसा के बिना महाविद्यालयीन विषय के संबंध में किसी भी उच्च अधिकारी/मंत्रीगण/राजनीतिक नेता यथा विधायक, सांसद आदि से सीधे संपर्क नही करेगा, और न ही महाविद्यालय/प्रशासन समिति के बारे में समाचार पत्रों या इलेक्ट्रानिक मिडिया में वक्तव्य देगा।

06- महाविद्यालय एवं प्रशासन समिति प्राध्यापक संघ/कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों द्वारा अवांछनीय एवं अवैधानिक गतिविधियों को निजी गतिविधि मानता है। प्राध्यापक संघ/कर्मचारी संघ अथवा प्रतिनिधि के माध्यम से या व्यक्तिगत् रूप से अपनी उचित मांग को महाविद्यालय के सक्षम प्राधिकारी के पास रख सकते है, इसके विपरित प्राध्यापक या कर्मचारी संघ के पदाधिकारी द्वारा समाचार पत्रों/इलेक्ट्रानिक मिडिया में महाविद्यालय की गरिमा के प्रतिकूल दिये गए बयान को व्यक्तिगत् मानकर कार्यवाही की जावेगी।

07- सभी प्राध्यापक/कर्मचारी को छत्तीसगढ़ शासन के सिविल सेवा आचरण नियम अवकाश नियमों का तथा उच्च शिक्षा एवं अन्य विभाग छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी संबंधित आदेशो को अक्षरशः एवं अनिवार्य रूप से पालन करना होगा।

08- कोई भी प्राध्यापक/कर्मचारी या उनका संघ यदि महाविद्यालय अथवा प्रशासन समिति के विरूद्ध न्यायालय एवं शासन के पास किसी मामले में जाने के पूर्व सक्षम अधिकारी को लिखित में सूचना देना एवं अनुमति लेना अनिवार्य होगा।

09- कोई भी प्राध्यापक/कर्मचारी स्वंय के कोचिंग/ट्यूशन/व्यवसाय नही कर सकते है, इसके अतिरिक्त किसी भी संस्था/संगठन या अन्य स्थानों में अपनी सेवाऍ देने के पूर्व महाविद्यालय के सक्षम अधिकारी से अनुमति लेना आवश्यक होगा।

10- आचार संहिता के किसी भी कंडिका का उल्लघंन अनुशासनहीनता और कदाचार की श्रेणी में रखा जायेगा तथा इस हेतु महाविद्यालय प्रशासन संबंधित के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने का अधिकारी होगा।

उपरोक्त आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू किया जाता है।

दिनांक 02.10.2016 को शासी निकाय द्वारा अनुमोदित

243/letter

PRINCIPAL
D.P. Vipra College
Bilaspur (C.G.)

अध्यक्ष
प्रशासन समिति
डी.पी. विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)